लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स माँ भवानी ट्रेडर्स, प्रो0 श्री विकाश कुमार सिंह, रामपुर, आमी, दिघवारा, सारण द्वारा गंगा नदी के पहलेजा घाट/यूनिट–12 (क्षेत्रफल–13.8 हेक्टेयर) मौजा–कसमार, रसुलपुर, अंचल–सोनपुर, जिला–सारण में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 यथा संशोधित के आलोक में **दिनांक 22.08.2023 को अपराह्न 3:00 बजे प्रखंड सभागार, सोनपुर, जिला–सारण** के प्रांगण में लोक–सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या – SIA/1(a)/2399/2023, दिनांक 09.06.2023 के आलोक में मो0 मुमताज आलम, अपर समाहर्ता, सारण की अध्यक्षता में की गयी।

उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक **21.07.2023** को प्रकाशित की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस.एन.ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फरपुर के द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता महोदय के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा गंगा नदी के पहलेजा घाट/यूनिट–12 (क्षेत्रफल–13.8 हेक्टेयर) मौजा–कसमार, रसुलपुर, अंचल–सोनपुर, जिला–सारण में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री विकाश कुमार सिंह को इस खनन पट्टा के लिए वैधान्तिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा पहलेजा घाट/यूनिट–12 (क्षेत्रफल–13.8 हेक्टेयर) से प्रतिवर्ष 370116 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹6,73,05,000/–(निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के पहलेजा घाट/यूनिट–12 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन,खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना"के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पडने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएँ गए है।

3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोडा जाएगा, जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्य केवल 3 मीटर गहराई तक अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे–मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जायगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूलकणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर परिवहन किया जायगा। खनिज से रिसने वाला जल से मार्गों को जलमग्न नहीं होने दिया जायगा। खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री मनोज कुमार राय, ग्राम–खरीका, पहलेजा घाट–इनके द्वारा निवेदन किया गया कि गाड़ी पर दिशा निर्देश अनुसार ही बालू का लोडिंग कर परिवहन किया जाय, अन्यथा सड़क खराब होती है, सड़क पर बालू गिरती है, जो वातावरण में फैलकर प्रदूषण फैलाता है एवं गाड़ी के पीछे चलने वाले व्यक्तियों के आँखों में पड़ती है। सड़क के दोनो किनारे वृक्षारोपण एवं नियमित रूप से सड़क पर जल छिड़काव होना चाहिए।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि बालू का लोडिंग निर्धारित सीमा के अनुसार होगी। बालू को ढ़क कर परिवहन किया जायगा, जिससे गाड़ी के पीछे चलने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। साथ ही सडक पर बालू भी नहीं गिरे। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि पहुँच पथ के दोनो किनारे वृक्षारोपण एवं सड़क पर दिन में कम–से–कम 3 बार जल छिड़काव की जायगी।
2.	श्री शिवनाथ मंडल, ग्राम–खरीका, पहलेजा घाट–इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि तेज आवाज (हार्न) वाला गाड़ी का प्रयोग नहीं हो। गाडी पर ओभर लोडिंग रोकने के ख्याल से लोडिंग वाले स्थान के पास ही धर्मकांटा का प्रावधान हो। इससे यह लाभ होगा कि गाड़ी मालिक अनावश्यक दण्ड देने से बचेगें। विभाग के निर्देश अनुसार ही बालू का खनन होना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं हो।	पर्यावरण सलाहकार के द्वारा बताया गया कि ट्रैक्टर, ट्रक एवं अन्य वाहन पर निर्धारित क्षमता के अनुसार ही बालू का लोडिंग किया जायगा, जिसका जाँच पास के धर्मकांटा पर करने के पश्चात् ही मुख्य सड़क पर वाहन का परिचालन हो। इससे गाड़ी मालिक अनावश्यक दण्ड से बचेगें। साथ ही सडक पर बालू नहीं गिरेगा एवं धुलकण भी नहीं उड़ेगा।
3.	श्री प्रवीण कुमार, नया गांव–इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू को गाड़ी पर लोड करने के पश्चात् नमी की जाय एवं तिरपाल से ढ़कने के बाद ही बालू का परिवहन हो।	सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि गाड़ी पर बालू लोडिंग के पश्चात् नमी करायी जायगी एवं तिरपाल से ढकने के पश्चात् ही बालू का ढुलाई किया जायगा। नियम का अवहेलना करने वाले के विरूद्ध दण्ड का भी प्रावधान है।
4.	श्री कृष्णा यादव, भिड़ी टोला, दुधईला–बालू खनन प्रारंभ करने के पूर्व सरकार द्वारा लोगों का सुझाव जानने के लिए लोक–सुनवाई करायी जा रही है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया। इनके द्वारा भी अनुरोध किया गया कि पर्यावरण सलाहकार द्वारा बालू खनन एवं परिवहन के क्रम में बताये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन खनन पट्टाधारी द्वारा किया	सलाहकार द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि बालू खनन एवं परिवहन करने से संबंधित शर्त्तो के साथ ही पट्टाधारक को बालू खनन करने के लिए अनुमति दी जायगी, जिसका जाँच समय–समय पर खनिज विकास पदाधिकारी एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा की जाती है। नियम का पालन नहीं किये जाने पर पट्टाधारक को दंडित भी करने का भी प्रावधान है।

	जाय। जिससे स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं हो।	

बालू खनन पट्टाधारक श्री विकाश कुमार सिंह द्वारा लोगों का आश्वासन दिया गया कि लोक–सुनवाई के क्रम में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताये गये नियमों एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यो का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है, जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं, जिसका अनुपालन होना चाहिए। नियमो का पालन नहीं होने पर, इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनसमुदाय द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट से खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया एवं सहमति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

25/8/17

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्,
मुजफ्फरपुर

25/8/17

अपर समाहर्ता
सारण

उपस्थिति सूची

मेसर्स माँ भवानी ट्रेडर्स, प्रो० श्री विकाश कुमार सिंह, रामपुर, आमी, दिघवारा, सारण द्वारा गंगा नदी के पहलेजा घाट / यूनिट 12 (क्षेत्रफल-13.8 हेक्टेयर) मौजा-कसमार, रसूलपुर, अंचल-सोनपुर, जिला-सारण में बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 22.08.2023 को अपराह्न 3:00 बजे प्रखंड सभागार, सोनपुर, जिला- सारण में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अपर समाहर्त्ता	सारण	22/8/23
2.	एस० एन० ठाकुर	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, मु०प०	22/8/2023
3.	अंजनी कुमार	खान निरीक्षक, सारण	Anjani 22/8/2023
4.	उपेन्द्र ठाकुर	GM-DIC सारण	22/8/23
5.	रजेश कुमार विश्वास	P & M Solution (Noida) (Consultant)	Rajesh
6.	शिवनाथ सिंह	रवतिया	शिवनाथ सिंह
7.	कृष्णा यादव	दुधैला कृषि फार्म	कृष्णा यादव
8.	मंटू कुमार यादव	मिनिक टोला दुधैला	मंटू कुमार यादव
9.	विनय राय	गंगाजल टोला	Vinay Kumar
10.	धर्मेन्द्र कुमार	परमानन्दपुर	Dharmendra Kumar

11.	राज कुमार सहनी	सैदपुर	राजकुमार सहनी
12.	लाल बहादुर राय	छितरपुर	लाल बहादुर राय
13.	अनिल कुमार राय	//	//
14.	उपेन्द्र राय	"	
15.	नितिश कुमार राय		
16.	हातवारी साह	कासमर	[illegible] साह
17.	बनारसी राय	कासमर	बनारसी राय
18.	अनिल कुमार राय	कासमर	अनिल कुमार
19.	शैलेश कुमार	कसमर	शैलेश कुमार
20.	जितेन्द्र कुमार राय	कसमर	जितेन्द्र कुमार राय
21.	उमेश महतो	कसमर	उमेश महतो
22.	मनोज सहनी	कासमर	मनोज सहनी
23.	विजय कुमार	कासमर	विजय कुमार
24.	अमरनाथ कुमार	कासमर	अमरनाथ कु
25.	Ranjeet kumar	Kasmar	Ranjeet kumar

26.	गौतम कुमार	कसमर	गौतम कुमार
27.	SUSIL.	KUMAR	[illegible]
28.	B[illegible]	कसमर	B[illegible]
29.	[illegible]	कसमर	[illegible]
30.	अनिल राय	कसमर	Anil Roy
31.	Pravin Kumar	Nayagaw	[illegible]
32.	Rajnish dixit	Nayagaw	[illegible]
33.	[illegible]	Kharika pathorghat	[illegible]
34.	Chandan Singh	Atani	Singh
35.	Dilip Kr. Singh	Mehrauli	Dlp
36.	रामकुमार राम	पहलेजा	रामकुमार राम
37.	शंकर राम	कसमर	शंकर राम
38.	ओंकार कुमार	[illegible]	ओंकार
39.	रंजीत कुमार	सोनपुर	रंजीत कुमार
40.	Sanjay Ray	Sonepur	Sanjay Ray